न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–613/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सामु मुण्डा वगैरह......................आवेदक/विक्रेता } **प्रथम पक्ष**

अजय होरो...क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार...द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
17.02.2024	**आदेश**	

आवेदकगण/आवेदिकागण 1. श्री/श्रीमती सामु मुण्डा 2. श्री/श्रीमती मंगरा मुण्डा दोनों के पिता/पति स्व0 भगता मुण्डा ग्राम–जियारप्पा, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
जियारप्पा	227	91	2237	0.10

आवेदकगण/आवेदिकागण के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण/आवेदिकागण 1. श्री/श्रीमती सामु मुण्डा 2. श्री/श्रीमती मंगरा मुण्डा दोनों के पिता/पति स्व0 भगता मुण्डा ग्राम–जियारप्पा, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती अजय होरो पिता/पति नियारण होरो ग्राम–अनिगड़ा, पो0–अनिगड़ा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदकगण/आवेदिकागण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 0263134124 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 79 दिनांक 31.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की पुर्वजों की खरीदगी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम मो0 सुकवारो देवी पति देवा मुण्डा है।

(5)

आवेदिका पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ट सं० 87 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदकगण/आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 54 दिनांक 11.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/274775 दिनांक 01.09.2023 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/558490 दिनांक 29.08.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 79 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती सामु मुण्डा 2. श्री/श्रीमती मंगरा मुण्डा दोनों के पिता/पति स्व0 भगता मुण्डा ग्राम–जियारप्पा, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती अजय होरो पिता/पति नियारण होरो ग्राम–अनिगड़ा, पो0–अनिगड़ा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं0 91, खेसरा संख्या 2237, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

17/02/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 12:46:40 +05:30
Location: 192.168.1.104